भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3653

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

***

भूजल संदूषण

3653. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में भू-जल संदूषण का सबसे खराब स्तर भारत देश में है क्योंकि देश के बीस से अधिक राज्य फ्लोराइड या आर्सेनिक से प्रभावित हैं जो निवासियों के प्रजनन-स्वास्थ्य को प्रभावित करने के अलावा कैंसर, त्वचा रोग और गंभीर बीमारी का कारण बन रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में आर्सेनिक अथवा फ्लोराइड से प्रभावित जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आर्सेनिक या फ्लोराइड के प्रभाव को कम करने और प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/योजनाएं/परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित/उपयोग की गई निधि का योजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पूरे देश में भूजल गुणवत्ता मानीटरिंग के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर प्रति वर्ष भूजल गुणवत्ता आकड़ों को तैयार किया जाता है। इस मानीटरिंग से यह ज्ञात हुआ है कि देश के कुछ भागों के अलग अलग क्षेत्रों में मानव उपभोग के लिए बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) की अनुमेय सीमा से अधिक फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है। इस संबंध में विवरण **अनुलग्नक -I** में दिया गया है। महाराष्ट्र में आर्सेनिक संदूषक की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। हालांकि, महाराष्ट्र में 22 जिलों (पृथक क्षेत्रों) में फ्लोराइड संदूषण की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): जल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों की योजना, मंजूरी और कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में आता है, हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल, शहरी क्षेत्रों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा राज्यों की साझेदारी के साथ अगस्त, 2019 से 'जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल' योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक स्तर पर पेय नल जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जेजेएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन आवंटित करते समय, आर्सेनिक और फ्लोराइड सहित रासायनिक संदूषकों से प्रभावित रिहाइशों में रहने वाली जनसंख्या को 10% वेटेज दिया

जाता है। जेजेएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए फंड का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर आर्सेनिक और फ्लोराइड सहित गुणवत्ता-प्रभावित बस्तियों में योजनाओं को शुरू करने के लिए भी किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों के आधार पर पाइप जलापूर्ति स्कीम की योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है। चूंकि, सुरक्षित जल स्रोत पर आधारित पाइप जलापूर्ति स्कीम की योजना, कार्यान्वयन और इसे आरंभ करने में समय लग सकता है, अतः विशुद्ध रूप से एक अंतरिम उपाय के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित रिहाइशों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करने की सलाह दी गई है ताकि प्रत्येक घर को पेय और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की दर से पेय जल उपलब्ध कराया जा सके।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, सभी आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित रिहाइशों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान दिनांक 07/08/2023 तक जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत आवंटित केंद्रीय निधि, प्राप्त सूचना के अनुसार हुए उपयोग वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक III** में दिया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 25 जून 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों में लगभग 60% शहरी जनसंख्या को शामिल करते हुए अमृत मिशन की शुरुआत की गई और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। अमृत मिशन मुख्यतः जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, स्ट्रोम जल निकासी, गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन और पारगम्य हरित स्थानों और पार्कों के क्षेत्रों में चयनित शहरों में शहरी अवसंरचनात्मक संरचनाओं के विकास पर केंद्रित है। वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान अमृत के तहत जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता (उपयोग प्रमाणपत्र - यूसी प्राप्त) का वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक IV** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, लगभग 4902 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में जल के नल कनेक्शन प्रदान कर और 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के सार्वभौमिक कवरेज के प्रावधान के माध्यम से शहरों को जल सुरक्षित बनाने के लक्ष्य के साथ अमृत 2.0 को शुरू किया गया है। वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान अमृत 2.0 के तहत जारी और उपयोग (प्राप्त यूसी) की गई केंद्रीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक IV** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक सुरक्षित गहरे जलभृत क्षेत्रों की पहचान की गई है और नवीन सीमेंट सीलिंग तकनीक का उपयोग करके आर्सेनिक सुरक्षित कुओं का निर्माण किया गया है। अब तक, आर्सेनिक सुरक्षित जलभृतों से निकासी के लिए 522 संन्वेषी कुएं (बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 188 और उत्तर प्रदेश में 294) का निर्माण (मार्च 2022 तक) किया गया है और उपयोग के लिए संबंधित राज्यों को सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नवीन सीमेंट सीलिंग तकनीक को उपयोग के लिए राज्यों के साथ साझा किया गया है।

****

अनुलग्नक -I

" भूजल संदूषण" के संबंध में दिनांक 10.08.2023 को लोकसभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या -3653 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत के भूजल में फ्लोराइड और आर्सेनिक संदूषक (पृथक क्षेत्रों) से आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की राज्य-वार संख्या

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	फ्लोराइड (1.5 एमजी/ली से अधिक)	आर्सेनिक (0.01 एमजी/ली से अधिक)
1	आंध्र प्रदेश	19	7
2	तेलंगाना	29	1
3	असम	17	21
4	बिहार	17	27
5	छत्तीसगढ	23	4
6	दिल्ली	8	5
7	गुजरात	30	12
8	हरियाणा	21	18
9	हिमाचल प्रदेश	2	1
10	जम्मू एवं कश्मीर	4	3
11	झारखंड	17	4
12	कर्नाटक	31	3
13	केरल	6	1
14	मध्य प्रदेश	44	9
15	महाराष्ट्र	22	---
16	मणिपुर	1	2
17	मेघालय	5	----
18	नगालैंड	3	----
19	ओडिशा	26	5
20	पंजाब	19	17
21	राजस्थान	33	10
22	तमिलनाडु	30	14
23	त्रिपुरा	3	3
24	उत्तर प्रदेश	42	45
25	उत्तराखंड	1	5
26	पश्चिम बंगाल	12	11
27	दमन और दीव	1	1
28	पुदुचेरी	--	1
	कुल	**27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 466 जिलों के भाग**	**25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 230 जिलों के भाग**

*मई 2022 की जल गुणवत्ता आकड़ों के साथ अद्यतन।

****

अनुलग्नक -II

"भूजल संदूषण" के संबंध में दिनांक 10.08.2023 को लोकसभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या -3653 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

महाराष्ट्र के भूजल में फ्लोराइड संदूषकों (पृथक क्षेत्र) से आंशिक रूप से प्रभावित जिले

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	**फ्लोराइड (1.5 एमजी/ली से अधिक)**
महाराष्ट्र	अहमदनगर, अमरावती, बीड, चंद्रपुर, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जालना, नागपुर, नांदेड़, परभणी, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, हिंगोली, नंदुरबार

****

अनुलग्नक -III

"भूजल संदूषण" के संबंध में दिनांक 10.08.2023 को लोकसभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या -3653 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

जल जीवन मिशन: 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में केंद्रीय निधि का आवंटन, आहरित और प्राप्त सूचना के अनुसार हुए उपयोग

[दिनांक 07/08/2023 तक]

(धनराशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	केंद्र का हिस्सा					राज्य के हिस्से के अंतर्गत हुए व्यय
	प्रारंभिक जमा	आवंटन	जारी	कुल उपलब्ध निधि	राज्य / यूटी से प्राप्त सूचना के अनुसार हुए उपयोग	
2020-21	6,432	23,033	10,920	17,352	12,540	7,800
2021-22	4,813	92,308	40,009	44,822	25,843	18,532
2022-23	19,319	1,00,789	54,742	74,061	50,380	39,576
2023-24*	23,105	1,32,937	13,710	36,815	25,449	15,958

* दिनांक 07/08/2023 तक

स्रोत: जेजेएम / आईएमआईएस

****

अनुलग्नक -IV

"भूजल संदूषण" के संबंध में दिनांक 10.08.2023 को लोकसभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या -3653 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अमृत के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजना कार्यान्वयन के लिए जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता

धनराशि करोड़ रुपए में

वित्त वर्ष	जारी केंद्रीय सहायता	प्राप्त यूसी
2020-21	6,146.72	5,213.92
2021-22	6,112.89	4,401.88
2022-23	961.17	-
चालू वित्त वर्ष : 2023-24	991.09	-

अमृत 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजना कार्यान्वयन के लिए जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता

धनराशि करोड़ रुपए में

वित्त वर्ष	जारी केंद्रीय सहायता	प्राप्त यूसी
2020-21	-	-
2021-22	455.78	68.28
2022-23	5,461.98	149.16
चालू वित्त वर्ष: 2023-24	276.57	-

*****